वित्त निर्देश 24/2002

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर

क्रमांक 622 /2002/ब-1/चार, रायपुर, दिनांक 6 मई, 2002.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़।

विषय:-अवकाश नगदीकरण व्यय का वर्गीकरण ।

वर्तमान में अवकाश नगदीकरण विभाग के सेवा शीर्ष में वर्गीकृत किया जा रहा है । इस प्रक्रिया को संशोधित करते हुये मुख्य एवं लघुशीर्षो की सूची में जारी शुद्धि पर्ची क्रमांक 354 के अनुसार सेवानिवृत्ति / सेवा समाप्ति के समय प्रदाय किये जाने वाली छुट्‌टी नगदीकरण का लाभ मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के अंतर्गत लघु शीर्ष 115-छुट्‌टी नगदीकरण हितलाभ के अंतर्गत किया जाना है । अत: यह निर्णय लिया जाता है कि दिनांक 1.4.2002 से सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति के समय प्रदाय किये जाने वाले छुट्‌टी नगदीकरण के लाभ से संबंधित व्यय को ''मांग संख्या 06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय-मुख्य लेखा शीर्ष 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-115-छुट्‌टी नगदीकरण हितलाभ-01-वेतन-00-अन्य भत्ते'' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाय ।

प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष उनके अधीन कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, जिनके प्रत्येक अप्रैल से मार्च तक सेवानिवृत्त होने की संभावना है, का नाम, संख्या एवं अवकाश नगदीकरण पर संभावित व्यय का विवरण विभागाध्यक्ष के माध्यम से 30 जून तक वित्त विभाग को भेजा जावेगा ताकि इस हेतु समुचित प्रावधान किया जा सके । कृपया वर्ष 2002-2003 हेतु उक्तानुसार जानकारी 30.6.2002 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(गौरव द्विवेदी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ0क्रमांक 623 /2002/ब-1/चार, रायपुर, दिनांक 6 मई, 2002

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल छत्तीसगढ़ के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, जीरो प्वांइट, रायपुर ।
3. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
4. महालेखाकार, (छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ) लेखाभवन, ग्वालियर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़, लोक सेवा आयोग, रायपुर ।
6. मुख्य लेखाधिकारी, अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर ।
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ शासन
9. समस्त कोषाधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन ।
10. समस्त बजट शाखा, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ ।

उप सचिव

छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग